भारत सरकार **लोकसभा**
वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं 1602**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात को बढ़ावा देना

1602. श्रीमती मालविका देवी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) वस्त्र, कृषि, अभियांत्रिकी वस्तुओं और औषधीय उत्पादों में भारत के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग जगत द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय निर्यातकों के लिए नए वैश्विक बाजारों को चिन्हित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) भारत की निर्यात वृध्दि में हाल ही में पैदा हुई गिरावट की स्थिति में उद्योग जगत की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) निर्यातकों, विशेषकर लघु निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) सरकार ने सभी क्षेत्रों में भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक बहूआयामी- और एकीकृत रणनीति अपनाई है, जिसमें वैश्विक बाज़ार की चुनौतियों से निपटने और एमएसएमई तथा छोटे निर्यातकों सहित को सहायता देने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह रणनीति एक लचीला और प्रतिस्पर्धी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे, डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय सहायता और लक्षित बाजार पहलों को जोड़ती है।

हाल की वैश्विक व्यापार बाधाओं के जवाब में, सरकार प्रमुख स्कीमों और क्षेत्र विशिष्ट-मध्यस्थता दोनों के माध्यम से प्रयासों को तेज कर रही है। प्रमुख पहलों को नीचे विस्तार से बताया गया है:

I. प्रमुख निर्यात संवर्धन और डिजिटल अवसंरचना स्कीमें:

क. **निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम):** केन्द्रीय बजट में वित्त वर्ष 2025-2026 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए 25,060 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ घोषित यह प्रमुख पहल निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित ढांचा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, भेषज और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है।

ख. **भारत ट्रेड नेट (बीटीएन):** केंद्रीय बजट 2025 में घोषित भारत ट्रेड नेट (बीटीएन), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डीजीएफटी द्वारा विकसित एक प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। इसका उद्देश्य व्यापार दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना, निर्यात वित्त तक पहुंच में सुधार करना और वैश्विक मानकों के साथ भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करना है। भारत की जी20 एडवोकेसी पर आधारित और यूएनसीआइटीआरएएल के एमएलईटीआर और एमएलआइटी जैसे अन्तरराष्ट्रीय ढ़ांचे के साथ मिलकर, बीटीएन का उद्देश्य लागत प्रभावी, इंटरऑपरेबल और एमएसएमई अनुकूल व्यापार संचालन को बढ़ावा देना है। यह पहल सरल, कागज रहित दस्तावेज़ीकरण को सक्षम, अनुपालन बोझ को कम करके और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तेज, सुरक्षित व्यापार लेनदेन की सुविधा प्रदान करके एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है।

II. वित्त और ऋण सहायता तंत्र:

क. केंद्र सरकार ने एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रूपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआइ) को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसई) शुरू की है। यह नकदी को मजबूत करेगा, सुचारू व्यापार संचालन सुनिश्चित करेगा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत की प्रगति को मजबूत करेगा।

ख. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम के तहत, पात्र केंद्र/राज्य सरकार संगठनों और उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि विदेश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय

प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई के दौरा/भागीदारी की सुविधा प्रदान की जा सके और प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उद्यम आदि के उद्देश्य से भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशालाएँ आयोजित की जा सकें। इसके अतिरिक्त, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात के लिए परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी) पर खर्च की गई लागत के लिए पहली बार सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

ग. **भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी)** ने निर्यातकों की सहायता के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- डब्ल्यूटी-ईसीआइबी के तहत कॉलेटरल-फ्री कवर: एमएसई निर्यातकों के बीच निर्यात ऋण को प्रोत्साहित करने के लिए जो कॉलेटरल या तीसरे पक्ष की गारंटी देने की स्थिति में नहीं हैं, ईसीजीसी द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2025 से 'कॉलेटरल-फ्री कवर' की पेशकश करने वाली एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के ₹10 करोड़ तक की निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी सीमा के लिए डब्ल्यूटी-ईसीआइबी के अंतर्गत बैंकों द्वारा कॉलेटरल-फ्री निर्यात ऋण का समर्थन करना है। यह बैंकों को एमएसई को उदार ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

- डब्ल्यूटी-ईसीआइबी के तहत अतिरिक्त प्रीमियम के बिना बढ़ा हुआ कवर: बैंकों को बड़े पैमाने पर मुआवजा देने और बीमा लागत को कम करने और व्यवसाय करने में सुगमता लाने के लिए, कंपनी पात्र बैंकों को 90% के बढ़े हुए कवर की पेशकश कर रही है और उनके निर्यात ऋण लोन को दिनांक 1 अक्टूबर, 2025 से ₹20 करोड़ की पूर्व सीमा के मुकाबले बिना किसी वृद्धिशील लागत के ₹50 करोड़ तक कवर करता है।

- बैंकों के लिए बढ़ा हुआ कवर (एमएसएमई के लिए): ईसीजीसी ₹80 करोड़ तक की कुल निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी सीमा वाले छोटे निर्यातक खातों के संबंध में डब्ल्यूटी-ईसीआइबी कवर का लाभ उठाने वाले बैंकों को पूर्व में 70% की बजाय 90% का बढ़ा हुआ कवर दे रहा है जिसके साथ यह है कि वे 'एए' और समकक्ष श्रेणी वाले खातों पर लागू कम ब्याज दर के माध्यम से इस लाभ को पारित करते हैं, इस प्रकार विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए लागत प्रभावी दरों पर पर्याप्त ऋण की उपलब्धता की सुविधा प्रदान की जाती है।

- **सीधे स्रोत किए गए व्यवसाय के लिए बढ़ा हुआ कवर:** ईसीजीसी उन निर्यातकों को 100% तक का बढ़ा हुआ प्रतिशत प्रदान कर रहा है जो किसी वैकल्पिक चैनल/मध्यस्थ को शामिल किए बिना सीधे कंपनी से पॉलिसी लेते हैं।

- दावों के निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया: बैंकों के लिए अल्पावधि (एसटी)-ईसीआइबी के तहत दावों के निपटान के लिए बेहतर सेवा प्रदान करने और बदलाव के समय में सुधार करने के लिए, कंपनी ने स्वीकृत सीमा के निरपेक्ष ₹10 करोड़ तक के शुद्ध मूलधन के लिए ईसीआइबी दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया है।

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) के साथ समझौता ज्ञापन: ईसीजीसी ने 'पहली बार एमएसई निर्यातकों के क्षमता निर्माण' (सीबीएफटीई) घटक को लागू करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आइसी) स्कीम। सीबीएफटीई स्कीम के तहत, एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 तक के प्रीमियम की वापसी की अनुमति 'लघु निर्यातक नीति' रखने वाले पात्र निर्यातकों को दी जाती है और जिनके पास 'सूक्ष्म' या 'लघु' उद्यम श्रेणी के तहत वैध उद्यम पंजीकरण होता है।

iii. क्षेत्र-विशिष्ट पहल:

क. वस्त्र हेतु:

- सरकार शून्य-रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए परिधान/वस्त्र और निर्मितीयों के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) स्कीम को लागू कर रही है।
- इसके अतिरिक्त, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और इनमें भाग लेने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- अन्य प्रमुख स्कीमों/पहलों में एक आधुनिक, एकीकृत विश्व स्तरीय वस्त्र बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क स्कीम; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ

वस्त्र, एमएमएफ परिधान और तकनीकी वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; समर्थ - मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण की स्कीम; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए रेशम समाग्र-2; हथकरघा क्षेत्र के लिए शुरु से अंत तक समर्थन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

ख. कृषि हेतु:

- एपीईडीए के माध्यम से वाणिज्य विभाग अपनी वित्तीय सहायता स्कीम के माध्यम से अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अपने सदस्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस सकीम के निम्नलिखित घटक हैं :
    - निर्यात अवसंरचना का विकास
    - गुणवत्ता विकास
    - बाजार विकास
- वित्तीय सहायता दिशानिर्देशों का विवरण "स्कीम" टैब के तहत एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर उपलब्ध है।
- इसके अतिरिक्त, एपीडा जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को (एनपीओपी) लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन, जैविक उत्पादन के लिए मानकों का विकास, जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत (पीएनपीओ), ऑपरेटरों को उनके संचालन के दायरे के अनुसार प्रमाणित किया जाता है, जैसे उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार। एपीडा देश भर में जैविक हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और निर्यात संवर्धन कार्यकलाप भी आयोजित कर रहा है।

- कृषि निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए, एपीडा ने हाल ही में नई पहल 'भारती' (एग्रीटेक, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता के लिए इनक्यूबेशन हेतु भारत हब) शुरू की है। इसे 100 कृषि-खाद्य और कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सशक्त बनाने, उनके विकास में तेजी लाने, नवाचार को बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों के लिए नए निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारती उत्पाद विकास, मूल्य वर्धन, गुणवत्ता आश्वासन, नाशकता, बर्बादी और लॉजिस्टिक्स से संबंधित निर्यात चुनौतियों का समाधान करना चाहती है।

ग. **भेषज हेतु:**

- भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीमें शुरू की हैं। भेषज उद्योग में, सरकार ने भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/दवा मध्यवर्ती (डीआइएस)/सक्रिय भेषज सामग्री (एपीआइ) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआइ स्की म शुरू की है, जिसे थोक दवाओं के लिए पीएलआइ स्कीम के रूप में भी जाना जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य एक ही स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता से आपूर्ति में व्यवधान के जोखिम को कम करके महत्वपूर्ण एपीआइ की आपूर्ति में व्यवधान से बचना है। भेषज के लिए पीएलआइ स्कीपम भी इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और फार्मास्यूटिकल उद्योग में उत्पादों को उच्च मूल्य के सामानों में विविधता देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।

घ .**इंजीनियर्निंग हेतु**

- निर्याततित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के लिए स्कीम (आरओडीटीईपी) उन करों/शुल्कों/लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए है जो वर्तमान में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किए जा रहे हैं, जो निर्यात उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए जाते हैं।

- देश में निर्यात बुनियादी संरचना के अंतर को दूर करने के लिए 1.4.2017 से "निर्यात स्कीयम (टीईएस) के लिए व्यापार बुनियादी संरचना" नामक स्कीम शुरू की गई थी।
- इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत में वार्षिक अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो और दुनिया भर में आयोजित भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनियों सहित ईईपीसी इंडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के निर्यात प्रोत्साहन कार्यकलाप किए जाते हैं।

IV. **जमीनी स्तर, लौजीस्टिक और औद्योगिक बुनियादी संरचना:**

क. निर्यात हब (डीईएच) के रूप में जिले भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य प्रदर्शन योग्य निर्यात क्षमता के साथ उत्पादों और सेवाओं की पहचान करके जिला स्तर के निर्यात विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य बुनियादी संरचना, लॉजिस्टिक्स, मानकीकरण, ब्रांडिंग, बाजार पहुंच और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने की दृष्टि से राज्य सरकारों के साथ समन्वय में जिला निर्यात कार्य स्कीम (डीईएपी) तैयार करके स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।

ख. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गति शक्ति के माध्यम से बुनियादी संरचना को मजबूत करना मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करता है, जिससे सीधे आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को कम करके एमएसएमई निर्यातकों को लाभान्वित करता है।

ग. उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने इसके तहत कई पहल की हैं, जिनमें 'व्यापार में सुगमता', जिसमें व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बी-रेडी असेसमेंट, ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म और अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, सरकार भारत के निर्यात क्षेत्र में विविधता लाने और नए और उभरते वैश्विक बाजारों में प्रवेश की पहचान और सुविधा प्रदान करके पारंपरिक बाजारों पर निर्भरता को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाते हुए, सरकार का उद्देश्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों

(पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ काम कर रही है ताकि हमारे निर्यातकों को जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के एफटीए के लाभों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके और हाल ही में संपन्न एफटीए जैसे ईएफटीए देशों और यूके के साथ बनाए गए अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। सरकार यूरोपीय संघ, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान आदि के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए के शीघ्र समापन के लिए बातचीत में भी लगी हुई है।

***